

जोननि

कार्यालय अग्निशमन शाखा नगर निगम जोधपुर

दिनांक 20/12/17

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/2017-18/636

श्रीमान् सी. आर. देपन
आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खंड प्रथम जोधपुर।

विषय- मारवाड अपार्टमेन्ट में निर्मित उच्च आय वर्ग - ब के लिए फायर फाइटिंग के कार्य की अग्निशमन अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग- आपके पत्र संख्या 1005 दिनांक 29/11/2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं आपके पत्र के संदर्भ में मारवाड अपार्टमेन्ट सेक्टर 14 ई में निर्मित मध्यम आयवर्ग - ब (बी+एस+9) = 36+36 Nos. ब्लॉक C&D का अग्निसुरक्षा बाबत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भवन में विपरीत दिशाओं में सीढ़ियां राष्ट्रीय भवन मानक अनुसार बनाई गई है। साथ ही भवन में राष्ट्रीय भवन मानक भाग चतुर्थ अनुसार फायर हाईड्रेंट सिस्टम, डाउन कामर, प्रत्येक भवन में फायर हाईड्रेंट आउटलेट, हॉज रील, टेरेस पम्प, आग बुझाने हेतु सुरक्षित पानी की व्यवस्था, फायर मेन इनलेट की व्यवस्था की गई है। जो कि अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सही है। अतः निम्नलिखित शर्तों की पालना आप द्वारा सुनिश्चित करने की स्थिति में उक्त अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र एक वर्ष हेतु जारी किया जाता है।

1. भवन के सेटबैक को हर समय चारों ओर से खुला रखा जाएगा। तथा सेटबैक में बने सीवरेज लाइनों के ढक्कन एवं अन्य इतने मजबूत रखे जाएं कि भारी अग्निशमन वाहनों को भवन के चारों ओर घूमने में किसी प्रकार की दिक्कत न रहे।
2. भवन में लगे अग्निसुरक्षा उपकरण हर समय सही एवं चालू स्थिति में रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
3. भवन में बाहर निकलने के रास्ते सीढ़ियां हर समय अवरोधमुक्त रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन में अत्यंत जलने वाले ठोस, द्रव्य व गैस का उपयोग अथवा भंडारण पूर्ण रूप से निषेध रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
5. भवन में बने बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाएगा।
6. भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य अथवा बदलाव करने से पूर्व इसकी सूचना विभाग को देनी होगी।
7. भवन में लगे फायर पंप हर समय चालू स्थिति में रखने के साथ साथ आग बुझाने वाले पानी के टैंकों को हर समय भरा रखा जाए यह सुनिश्चित करना होगा।
8. भवन में फायर प्रीवेंशन, प्रोटेक्शन एवं लाइफ सेफ्टी की पूर्ण व्यवस्था आप द्वारा सुनिश्चित की जावे। अन्यथा उपरोक्त जारी की गई अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
9. उक्त अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
10. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।



सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर।

जोननि

कार्यालय अग्निशमन शाखा नगर निगम जोधपुर

दिनांक 20/12/17

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/2017-18/637

श्रीमान् सी. आर. देपन
आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खंड प्रथम जोधपुर।

विषय- मारवाड अपार्टमेन्ट में निर्मित उच्च आय वर्ग के फायर फाइटिंग के कार्य की अग्निशमन अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग- आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, जोधपुर के पत्र संख्या 1004 दिनांक 29/11/2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं आपके पत्र के संदर्भ में मारवाड अपार्टमेन्ट सेक्टर 14 ई में निर्मित उच्च आयवर्ग - ब (बी+एस+9) = 36 Nos. फेज I का अग्नि सुरक्षा बाबत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भवन में विपरीत दिशाओं में सीढ़ियां राष्ट्रीय भवन मानक अनुसार बनाई गई है। साथ ही भवन में राष्ट्रीय भवन मानक भाग चतुर्थ अनुसार फायर हाइड्रेंट सिस्टम, डाउन कामर, प्रत्येक भवन में फायर हाइड्रेंट आउटलेट, हॉज रील, टेरेस पम्प, आग बुझाने हेतु सुरक्षित पानी की व्यवस्था, फायर मैन इनलेट की व्यवस्था की गई है। जो कि अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सही है। अतः निम्नलिखित शर्तों की पालना आप द्वारा सुनिश्चित करने की स्थिति में उक्त अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र एक वर्ष हेतु जारी किया जाता है।

1. भवन के सेटबैक को हर समय चारों ओर से खुला रखा जाएगा। तथा सेटबैक में बने सीवरेज लाइनों के ढक्कन एवं अन्य इतने मजबूत रखे जाएं कि भारी अग्निशमन वाहनों को भवन के चारों ओर घूमने में किसी प्रकार की दिक्कत न रहे।
2. भवन में लगे अग्निसुरक्षा उपकरण हर समय सही एवं चालू स्थिति में रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
3. भवन में बाहर निकलने के रास्ते सीढ़ियां हर समय अवरोधमुक्त रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन में अत्यंत जलने वाले ठोस, द्रव्य व गैस का उपयोग अथवा भंडारण पूर्ण रूप से निषेध रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
5. भवन में बने बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाएगा।
6. भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य अथवा बदलाव करने से पूर्व इसकी सूचना विभाग को देनी होगी।
7. भवन में लगे फायर पंप हर समय चालू स्थिति में रखने के साथ साथ आग बुझाने वाले पानी के टैंकों को हर समय भरा रखा जाए यह सुनिश्चित करना होगा।
8. भवन में फायर प्रीवेंशन, प्रोटेक्शन एवं लाइफ सेफ्टी की पूर्ण व्यवस्था आप द्वारा सुनिश्चित की जावे। अन्यथा उपरोक्त जारी की गई अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
9. उक्त अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
10. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।



सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर।

जोना^१ कार्यालय अग्निशमन शाखा नगर निगम जोधपुर

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/ 2017-18/५०९

दिनांक 15/09/17

श्रीमान् सी. आर. देपन
आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खंड प्रथम जोधपुर।

विषय- मारवाड़ अपार्टमेंट में निर्मित मध्यम आय वर्ग "ब" के ब्लॉक "E" लिए फायर फाइटिंग के कार्य की एनओसी जारी करने बाबत।
प्रसंग- आपके पत्र संख्या 393 दिनांक 03/07/2017 के क्रम में।

महोदय,

- उपरोक्त विषय एवं आपके पत्र के संदर्भ में उद्यान अपार्टमेंट का अग्निसुरक्षा बाबत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भवन में विपरीत दिशाओं में सीढ़ियां राष्ट्रीय भवन मानक अनुसार बनाई गई है। साथ ही भवन में राष्ट्रीय भवन मानक भाग चतुर्थ अनुसार फायर हाईड्रेंट सिस्टम, डाउन कामर, प्रत्येक भवन में फायर हाईड्रेंट आउटलेट, हॉज रील, टेरेस पम्प, आग बुझाने हेतु सुरक्षित पानी की व्यवस्था, फायर मैन इनलेट की व्यवस्था की गई है। जो कि अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सही है। अतः निम्नलिखित शर्तों की पालना आप द्वारा सुनिश्चित करने की स्थिति में उक्त अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र एक वर्ष हेतु जारी किया जाता है।
1. भवन के सेटबैक को हर समय चारों ओर से खुला रखा जाएगा। तथा सेटबैक में बने सीवरेज लाइनों के ढक्कन एवं अन्य इतने मजबूत रखे जाएं कि भारी अग्निशमन वाहनों को भवन के चारों ओर घूमने में किसी प्रकार की दिक्कत न रहे।
 2. भवन में लगे अग्निसुरक्षा उपकरण हर समय सही एवं चालू स्थिति में रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
 3. भवन में बाहर निकलने के रास्ते सीढ़ियां हर समय अवरोधमुक्त रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
 4. भवन में अत्यंत जलने वाले ठोस, द्रव्य व गैस का उपयोग अथवा भंडारण पूर्ण रूप से निषेध रहे यह सुनिश्चित करना होगा।
 5. भवन में बने बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाएगा।
 6. भवन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य अथवा बदलाव करने से पूर्व इसकी सूचना विभाग को देनी होगी।
 7. भवन में लगे फायर पंप हर समय चालू स्थिति में रखनेके साथ साथ आग बुझाने वाले पानी के टैंकों को हर समय भरा रखा जाए यह सुनिश्चित करना होगा।
 8. भवन में फायर प्रीवेंशन, प्रोटेक्शन एवं लाइफ सेफ्टी की पूर्ण व्यवस्था आप द्वारा सुनिश्चित की जावे। अन्यथा उपरोक्त जारी की गई अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
 9. उक्त अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
 10. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।



has
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर।